

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सं / No. 5-1(151)/2012-PD

दिनांक / Dated: 05.03.2026

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum

विषय : विभागीय उम्मीदवारों या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत उम्मीदवारों को एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में।

Subject: Grant of Upper Age Relaxation to Departmental Candidates or candidates employed under Central Govt./State Govt./ Autonomous Bodies for Direct Recruitment to MTS Posts -reg.

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि विभिन्न सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों से एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पदों पर सीधी भर्ती के लिए विभागीय उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पदों पर सीधी भर्ती के लिए विभागीय उम्मीदवारों या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत उम्मीदवारों को एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) पद के लिए भर्ती नियमों के अंतर्गत आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(151)/2012-पीडी दिनांक 02.07.2013 के अनुसार संचालित होगा।

The undersigned is directed to state that references have been received from various CSIR Labs/Instt. seeking clarification with regard to grant of upper age relaxation to departmental candidates for direct recruitment to MTS Posts. The matter has been considered by the Competent Authority and it is clarified that there is no provision for grant of age relaxation for departmental candidates or candidates employed under Central Govt./State Govt./ Autonomous Bodies for direct recruitment to MTS Posts under the Recruitment Rules for the post of MTS. The matter shall be governed in accordance with CSIR letter No. 5-1(151)/2012-PD dated 02.07.2013.

2. इसके अतिरिक्त, आयु में छूट केवल उसमें विशेष रूप से उल्लिखित श्रेणियों को ही दी जाएगी।

Further, age relaxation shall be admissible only to the categories specially mentioned therein.

(अमरेन्द्र कुमार /Amrendra Kumar)
अवर सचिव (पी.डी) / Under Secretary (PD)

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1) सभी सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
- 2) सीएसआईआर वेबसाइट / CSIR website
- 3) कार्यालय प्रति / Office Copy